भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या649

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग

649 डॉ.टी.एन. सीमाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि देश में नफरत फैलाने के लिए बड़ी संख्या में टवीट्स, फेसबुक स्टेटस अपडेट्स ई-मेल्स या बलॉग्स और ह्वाट्स ऐप संदेशों का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इंटरनेट के जरिए अफवाह फैलाने की हाइटेक पद्धति, जिसके कारण आम जनता में सांप्रदायिक तनाव और दहशत कायम की जा सकती है, से निपटने के लिए सरकार के पास मौजूदा तंत्र क्या है; और

(घ) इस संबंध में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा ऐसी अन्य कंपनियों के सहयोग से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) : जी, हां। देश में नफरत फैलाने के अभियान के लिए ट्विटर, फेसबुक, ई-मेल, ब्लॉगों और व्हाट्सएप के दुरुपयोग के उदाहरण समय-समय पर भारत सरकार के संज्ञान में आए हैं। देश के बाहर से चलाई जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित विभिन्न वेबसाइटों पर उत्तेजक, नुकसानदायक और नफरतपूर्ण विषयों/सामग्रियों की उपलब्धता की अनेक घटनाएं भी सरकार के संज्ञान में लाई गई हैं।

(ख) से (घ): सोशल माडिया नेटवर्किंग साइटों पर उपलब्ध सामग्रियों की सरकार द्वारा निगरानी या विनियमन नहीं किया जाता है। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता संबधी दिशानिर्देश) नियम, 2011 में यह अपेक्षा की जाती है कि मध्यस्थों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें कम्प्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को यह सूचित करना चाहिए कि वे किसी भी ऐसी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रेषित, अद्यतन अथवा साझा न करें जो किसी भी रूप में नुकसानदायक, आपत्तिजनक तथा अवैधानिक है तथा अवयस्कों को प्रभावित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दिनांक 17 अगस्त, 2012 को सभी मध्यस्थों के लिए एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था जिसमें उनसे प्राथमिकता के आधार पर अपनी वेबसाइट पर डाली गई उत्तेजक एवं नफरत फैलाने वाली सामग्रियों को हटाने करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियों/विषयों को प्रभावी रूप से हटाने के लिए सरकार सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित मध्यस्थों के साथ नियमित रूप से बातचीत करती है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क, सरकार को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपर्युक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने हेतु उकसाए जाने को रोकने के लिए किसी भी कम्प्यूटर संसाधन में तैयार, प्रेषित, प्राप्त, रखी गई अथवा डाली गई सूचना को अवरूद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क और उसके अधीन प्रकाशित नियमों के अनुसार, सरकार उस स्थिति में कार्रवाई करती है जब विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपत्तिजनक विषयों/सामग्रियों वाली साइटों/यूआरएस पृष्ठों द्वारा देश के किसी भी कानून के उल्लंघन की बात उसके संज्ञान में लाई जाती है अथवा जब न्यायालय वेबसाइटों के किसी यूआरएल को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करता है।

*****